प्रेस विज्ञप्ति
बिहार पुलिस मुख्यालय,
दिनांक–18.10.2023 (सं0–342)

पुलिस मुख्यालय के द्वारा पुलिस पदाधिकारी तथा कर्मियों के कल्याण हेतु की जा रही कार्रवाईयाँ

1. शहीद सिपाही 979 स्व0 अमिता बच्चन की आश्रित को 25 लाख रुपये की अनुदान राशि का भुगतान :–

वैशाली जिला बल के सिपाही/979 स्व0 अमिता बच्चन को कर्तव्य के क्रम में 02 अपराधकर्मियों का पीछा करते समय अपराधकर्मियों के द्वारा उन्हें गोली मार दी गयी थी, जिससे वे शहीद हो गयें।

गत दिनों पुलिस मुख्यालय के द्वारा यह निर्णय लिया गया था कि कर्तव्य के क्रम में शहीद होने वाले पुलिस पदाधिकारी तथा कर्मियों को बिहार पुलिस परोपकारी कोष से 25 लाख रुपये की अनुदान राशि दी जायेगी। शहीद सिपाही/979 स्व0 अमिता बच्चन की आश्रित पत्नी श्रीमती कोमल कुमारी को बिहार पुलिस परोपकारी कोष से 25 लाख रुपये की अनुदान राशि एक मुश्त चेक के माध्यम से भुगतान किया जा रहा है।

➢ पुलिस मुख्यालय के द्वारा शहीद पुलिस पदाधिकारी/कर्मियों के सम्मान में उनके आश्रितों को 02 लाख रुपये शहीद सम्मान राशि दी जाती है। समस्तीपुर जिला बल के मोहनपुर ओ0पी0 के अध्यक्ष स्व0 नन्दकिशोर यादव जो कर्तव्य के क्रम में अपराधी गिरोह से मुठभेड़ में शहीद हो गये थें, उनकी आश्रित उनकी पत्नी श्रीमती अमृता यादव को शहीद सम्मान राशि के 02 लाख रुपयों का भुगतान किया जा रहा है। इन्हें पूर्व में बिहार पुलिस परोपकारी कोष से 25 लाख रुपये की अनुदान राशि का भुगतान किया जा चुका है।

2. अनुकम्पा के आधार पर की गयी नियुक्तियाँ :–

सेवाकाल में मृत पुलिसकर्मियों के आश्रितों की अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति की जाती है। पिछले दिनों बिहार पुलिस मुख्यालय के द्वारा अनुकम्पा के आधार पर सेवाकाल में मृत पुलिस पदाधिकारी तथा कर्मियों के आश्रितों की नियुक्ति निर्धारित प्रक्रिया के द्वारा की गयी है जो निम्नवत है :–

I. विभागीय अनुकम्पा समिति की अनुशंसा के उपरान्त सेवाकाल में मृत पुलिसकर्मियों के 16 नाबालिग आश्रितों की बाल सिपाही के पद पर नियुक्ति की गयी है।

II. केन्द्रीय अनुकम्पा समिति की अनुशंसा के उपरान्त सेवाकाल में मृत पुलिस कर्मियों के 15 आश्रितों को सिपाही के पद पर नियुक्त करने का आदेश दिया गया है।

III. अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति हेतु मार्जन (Relaxation-निर्धारित अहर्ता में छूट) के लिए विभागीय मार्जन समिति की बैठक में की गयी अनुशंसा के उपरान्त सेवाकाल में मृत पुलिसकर्मियों के 63 आश्रितों को मार्जन देते हुए सिपाही के पद पर नियुक्त करने का आदेश दिया गया है।

IV. अनुकम्पा के आधार पर लिपिक के पद पर नियुक्ति हेतु स्क्रीनिंग समिति की बैठक के उपरान्त सेवाकाल में मृत पुलिस पदाधिकारी/कर्मियों के 22 आश्रितों की लिपिक के पद पर नियुक्ति की गयी है।

V. इस प्रकार वर्ष 2023 में अब तक सेवाकाल में मृत पुलिस पदाधिकारी/कर्मियों के कुल 116 आश्रितों की अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति की गयी है।

3. पुलिस सैलरी पैकेज :–

- बिहार पुलिस के सभी पदाधिकारियों तथा कर्मियों के वेतन इत्यादि का भुगतान उनके भारतीय स्टेट बैंक के खातों में किया जाता है। चूँकि बड़ी संख्या में पुलिस पदाधिकारी/कर्मियों के खाते भारतीय स्टेट बैंक में हैं तथा बड़े पैमाने पर लेनदेन किया जाता है, इसलिये भारतीय स्टेट बैंक के द्वारा पुलिस सैलरी पैकेज के अन्तर्गत बिहार पुलिस के पदाधिकारी तथा कर्मियों को पुलिस सैलरी पैकेज के अन्तर्गत विशेष आर्थिक सुविधायें प्रदान की जाती हैं।
- भारतीय स्टेट बैंक तथा बिहार पुलिस संगठन के बीच पुलिस सैलरी पैकेज के अंतर्गत कई सुविधाओं के लिए दिनांक–13.08.2018 को एक इकरारनामा (MOU) हुआ था एवं कालक्रम में इसका अवधि विस्तार दिनांक–02.11.2021 को किया गया था।

पुलिस सैलरी पैकेज के अंतर्गत देय सुविधाओं की संक्षिप्त विवरणी निम्न प्रकार है :–

I. वेतन के अनुसार भारतीय स्टेट बैंक में खातों को चार भागों मे बाँटा गया है :–

- सिल्वर– 10 हजार से 25 हजार तक वेतन के लिए
- गोल्ड– 25001 से 50000 तक वेतन के लिए
- डायमंड– 50001 से 100000 तक वेतन के लिए
- प्लेटिनम– 100000 से अधिक वेतन के लिए

II. पैकेज के अनुसार पूरक दुर्घटना बीमा (मृत्यु) कवर है। भले हीं खाता में शेष शून्य हो सक्रिय वेतन खातों के लिए उपलब्ध। इसके अंतर्गत आतंकवादी हमला भी सम्मिलित है। सिल्वर और गोल्ड पैकेज के लिए 5 लाख, डायमण्ड के लिए 15 लाख एवं प्लेटिनम के लिए 20 लाख का दुर्घटना कवर है।

III. ए0टी0एम0 कार्ड पर भी अतिरिक्त व्यक्तिगत दुर्घटना (मृत्यु) बीमा कवर है।

IV. पूरक हवाई दुर्घटना (मृत्यु) बीमा कवर है। किन्तु शर्त ये है कि हवाई टिकट स्टेट बैंक के डेबिट कार्ड/इंटरनेट बैंकिंग के द्वारा खरीदा गया हो। इसके अन्तर्गत सिल्वर के लिए शून्य, गोल्ड के लिए 05 लाख, डायमंड के लिए 20 लाख एवं प्लेटिनम के लिए 30 लाख तक का कवर है।

V. ए0टी0एम0 कार्ड पर अतिरिक्त हवाई दुर्घटना (मृत्यु) बीमा कवर है।

VI. इसके अतिरिक्त प्लास्टिक सर्जरी/बर्न, आयतित दवा का परिवहन, दुर्घटना का कारण, मृत्यु, एयर एम्बुलेन्स, उच्च शिक्षा, बालिका विवाह इत्यादि में भी बीमा कवर बैंक के मौजूदा नियमों और शर्तों के अधीन है।

XXXXXX